न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 19/21 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2021/858

अनवान

1. श्री बालु पिता स्व. श्री रूपा भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती मांगी पिता स्व. श्री रूपा भील निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....................विपक्षी

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजपेरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक :19.08.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 390/3, 391 किता 2 रकबा 00 बिघा 07 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जो प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री रूपा पिता श्री देवा भील की विरासत से प्राप्त हुई है। यह कि हाल ही में हुए बंदोबस्त से इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में अंकित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 719 किता 1 रकबा 0.0800 है. बने। यह प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी न. 390/3 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी न. 391 रकबा 02 बिस्वा दोनो ही अलग–अलग स्थान पर स्थित है जिसमें से आराजी नम्बर 390/3 रकबा 05 बिस्वा भूमि अरनेड से कलवल जाने वाले कच्चे मार्ग से सटी हुई है तथा आराजी न. 391 रकबा 02 बिस्वा भूमि नाले के पास स्थित है जिसकी पुष्टि में राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश है।
2. यह कि हाल ही में हुए बंदोबस्त से इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में अंकित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी न. 390/3 रकबा 05 बिस्वा एवं आराजी न. 391 रकबा 02 बिस्वा दोनों को नवीन [illegible] की नकल जनाबंदी में एक रूप में आराजी न. 719 क्षे. 0.0800 है. भूमि [illegible] कर दिया गया है एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में भी अशुद्ध रूप से एक ही जगह नाले के पास अंकित कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested

है जो पुरी तरह से गलत है जिससे नवीन राजस्व रेकर्ड में हुई इस अशुद्धि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमाबंदी संवत् 2078–81 की ग्राम कलवल के खसरा सं. 717 रकबा 0.04 है. किस्म बारानी द्वि. खातेदार ओमप्रकाश पिता रामलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 पुर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा भीण्डर, कालुलाल, मोतीलाल, शांतिलाल पिता वल्लभराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। यह कि खाता सं. 266 जमांबदी संवत् 2078–81 खसरा सं. 719 रकबा 0.0800 है. खड्डा (0.02है.) व बारानी द्वि. 0.06 है. खातेदार बालु पिता रूपा हिस्सा 1/2 जाति भील व मांगीबाई पुत्र रूपा हिस्सा 1/2 जाति भील सा.देह के नाम दर्ज है। मिलान क्षै. हाल खसरा सं. 717 के साबिक आराजी न. 390/3, खसरा संख्या 719 के साबिक आराजी न. 391, 390/3 व खसरा संख्या 722 के साबिक आराजी न. 390/3, 394 है।

4. तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि आराजी नं. 390/3 रकबा 0–05 बिघा, आराजी न. 391 रकबा 0–02 बिघा दोनों आराजी नक्शा ट्रेस साबिक में अलग–अलग जगह है जबकि वर्तमान में आराजी नं. 719 रकबा 0.08 है. को प्रार्थी बालु पिता रूपा, मांगीबाई पुत्र रूपा हिस्सा 1/2 जाति भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज कर नक्शा ट्रेस में एक ही जगह दर्शाया गया है जो अशुद्ध है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी सं. 719 रकबा 0.08 है में से 0.02 है को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी बालु पिता रूपा व मांगीबाई पुत्री रूपा भील हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार के एवं शेष रकबा 0.06 है को बिंदु सं. 1 के दर्ज खातेदार के नाम होना प्रस्तावित किया साथ ही आराजी सं. 717 रकबा 0.04 है. एवं 722 रकबा 0.02 रकबा है. प्रार्थी बालु पिता रूपा भील व मांगीबाई पुत्री रूपा भील सा. देह खातेदार के नाम प्रस्तावित कर साथ ही प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस के मिलान होना बताया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 390/3 रकबा 5 बिस्वा एवं साबिक 391 रकबा 2 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्धन से पूर्व नक्शा ट्रेस में अलग–अलग जगह तरमीन थी लेकिन नवीन बंदोबस्त बाद प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 390/3, 391 के नवीन आराजी न. ... है. कायम कर नवीन नक्शा ट्रेस में एक ही जगह अंकित कर दिया जो गलत है जिसे शुद्ध कर पुनः साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार अलग–अलग भागों में अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आराजी नं. 390/3 रकबा 0–05 बिघा, आराजी न. 391 रकबा 0–02 बिघा दोनों आराजी नक्शा ट्रेस साबिक में अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested

...हुई है जबकि वर्तमान में आराजी नं. 719 रकबा 0.08 है. को प्रार्थी बालु पिता रूपा, मांगीबाई पुत्र रूपा हिस्सा 1/2 जाति भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज कर नक्शा ट्रेस में एक ही जगह दर्शाया गया है जो अशुद्ध है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी सं. 719 रकबा 0.08 है. में से 0.02 है को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी बालु पिता रूपा व मांगीबाई पुत्री रूपा भील हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार के एवं शेष रकबा 0.06 है को बिंदु सं 1 के दर्ज खातेदार के नाम होना प्रस्तावित किया साथ ही आराजी सं. 717 रकबा 0.04 है एवं 722 रकबा 0.02 रकबा है. प्रार्थी बालु पिता रूपा भील व मांगीबाई पुत्री रूपा भील सा. देह खातेदार के नाम प्रस्तावित कर साथ ही प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस के मिलान होना बताया। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.की जमाबंदी सम्वत् 2078-81 की आराजी सं. 719 रकबा 0.08 है. में से 0.06 है. भूमि उक्त मौजा की खाता संख्या नया 19 में अंकित खातेदारों के नाम दर्ज किये जाने (हिस्से पूर्व अनुसार) तथा उक्त आराजी न. 719 की शेष भूमि 0.02 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम बदस्तुर रहें। इसी प्रकार आराजी न. 717 रकबा 0.04 है. व आराजी न. 722 रकबा 0.02 है. भूमि खाता संख्या नया 19 में अंकित खातेदारों के बजाय प्रार्थीगण के नाम (बालु पुत्र रूपा जाति भील, मांगीबाई पुत्री रूपा भील जाति भील) हिस्से बराबर से दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खाता संख्या नया 19 की शेष भूमि बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested